संख्या- 33/2021/173/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,

अनु सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊःदिनांक 12 फरवरी, 2022

विषय- रेजीडेंसी,लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों पर हुए धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4239/सं0नि0-15(38)/2021-22, दिनांक 07 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी-चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को लखनऊ की रेजीडेंसी में आयोजित ड्रोन शो कार्यक्रम में संस्कृति विभाग द्वारा ड्रोन शो से पूर्व आजादी पर आधारित रागिनी गायन तथा कार्यक्रम के अंतर्गत चौरी-चौरा थीम सान्ग पर नृत्य नाटिका आयोजित करायी गयी थी ।जिस पर व्यय निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम	व्यय धनराशि
1.	आजादी पर आधारित रागिनी गायन	60,000/-
2.	चौरी-चौरा थीम सान्ग पर प्रस्तुति(कथक केन्द्र द्वारा)	60,000/-
योग (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)		1,20,000/-

उक्त कार्यक्रम हेतु रू0 1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 33 /2022/173/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।